

प्रेस विज्ञप्तिथाना मुबारकपुररॉड से मारकर अपनी माता की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार घटना में घटना में प्रयुक्त रॉड बरामद

**पूर्व की घटना-** दिनांक 11.06.2024 को वादी मुकदमा उधौ गोड़ पुत्र स्व0 बालकिशुन गोड़ निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पत्नी सुखिया देवी (55 वर्ष) को उसके पुत्र सुनील गोड़ (26 वर्ष) ने लोहे की राड से सिर मे मार कर हत्या कर दिया जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 229/2024 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 12.06.2024 को प्र0नि0 मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील गोड़ पुत्र उधौ गोड़ निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गोछा बार्डर पुलिया से समय करीब 08:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर हत्या की घटना मे प्रयुक्त लोहे की 01 रॉड बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** सुनील गोड़ पुत्र उधौ गोड़ निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 26 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 229/2024 धारा 302 भादवि बनाम सुनील गोड़ पुत्र उधौ गोड़ निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** प्र0नि0 मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार, का0 जितेन्द्र यादव, का0 राहुल चौधरी व म0का0 शिवानी सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना - अहरौलाचोरी की मोबाइल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 12/06/2024 को उ.नि. अवधेश कुमार यादव मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति अहरौला सब्जी मंडी के पास चोरी का मोबाइल बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर उ.नि. अवधेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा अहरौला सब्जी मंडी से अभियुक्त रविंद्र उर्फ मोनू चौरसिया पुत्र श्री राम चौरसिया निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को समय करीब 09:20 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 280/24 धारा 379 भादवि0 व बढ़ोत्तरी धारा 411 ipc पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 280/24 धारा 379 भादवि0 व बढ़ोत्तरी धारा 411 ipc थाना अहरौला आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** रविंद्र उर्फ मोनू चौरसिया पुत्र श्री राम चौरसिया निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

**बरामदगी-** 01 मोबाइल फोन

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ.नि. अवधेश कुमार यादव, हे.का.जयप्रकाश यादव व हे.का. हरिश्चंद्र भास्कर थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- मेंहनगरमारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने वाला गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 10-06-2024 को वादी मुकदमा अमित कुमार पुत्र सूवेदार राम ग्राम देवईत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्तों 1-कमल s/o बलिहारी, 2-गुलशन s/o बलिहारी, 3-अमन s/o मन्देश, 4-प्रकाश s/o उदयराज व 5-चंचल पुत्र दयालू, 6-बृजेश s/o रामचन्दर ने वादी के घर चढ़कर वादी को बुरी तरह से मार कर सर फोड़ दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 219/24 धारा 34/323/506/308 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 12.06.2024 को उ0नि0 अमित कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चंचल पुत्र स्व0 दयालु निवासी ग्राम देवईत थाना मेंहनगर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम देवईत से समय करीब 09:20 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु.अ.सं.- 219/24 धारा 34/323/506/308 IPC थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** चंचल पुत्र स्व0 दयालु निवासी ग्राम देवईत थाना मेंहनगर आजमगढ़।

**बरामदगी-** 01 लाठी (घटना में प्रयुक्त)

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 अमित कुमार यादव मय हमराह का0 सोनू यादव का0 वसीम अकरम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

## थाना- बरदह

### शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 17.05.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि वादी की पुत्री बिना बताये कही चली गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 161/24 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 10.06.2024 को अपहृता को बस अड्डे से बरामद किया गया है।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र इन्दरपाल निवासी काशी राम आवास योजना रामगंगा नगर कालोनी सेक्टर 04 ब्लॉक ए3 म0नं0 403 थाना चैनपुर जनपद बरेली का नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 12.06.2024 को उ0नि0 आफताब आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र इन्दरपाल निवासी काशी राम आवास योजना रामगंगा नगर कालोनी सेक्टर 04 ब्लॉक ए3 म0नं0 403 थाना चैनपुर जनपद बरेली को ठेकमा बाजार से समय करीब 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** जितेन्द्र पुत्र इन्दरपाल निवासी काशी राम आवास योजना रामगंगा नगर कालोनी सेक्टर 04 ब्लॉक ए3 म0नं0 403 थाना चैनपुर जनपद बरेली।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 161/24 धारा 363 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 आफताब आलम, का0 त्रिलोकनाथ पाण्डेय थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

## थाना सरायमीर

### गुमशुदा 04 किशोरियों को 24 घण्टे के अन्दर किया गया बरामद

**पूर्व की घटना-** दिनांक 11.06.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री एवं गाँव की अन्य 03 लड़किया, दिनांक 11.06.24 को समय 12.20 बजे दोपहर में घर से बिना बताये कही चली गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 318/24 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡ प्रभारी निरीक्षक सरायमीर यादवेन्द्र पाण्डेय द्वारा 04 लड़कियों की बरामदगी हेतु 05 टीमों का गठन कर अन्दर 24 घण्टे में बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

➡ प्रथम टीम प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में, द्वितीय टीम उ0नि0 बासुदेव साहनी, तृतीय टीम उ0नि0 राजकुमार यादव चतुर्थ टीम उ0नि0 अभिषेक सिंह व पंचम टीम उ0नि0 देवचरण सिंह मय हमराह के नेतृत्व में रवाना हुयी।

**बरामदगी का विवरण-** आज दिनांक 12.06.2024 को उ0नि0 देवचरण सिंह मय हमराह गुमशुदा लड़कियों की बरामदगी हेतु सुरागरसी पतारसी करते हुए अयोध्या पहुंचे जहां पर बिड़ला धर्मशाला गेट के पास से गुमशुदा 04 लड़कियों मौजूद मिली। गुमशुदा लड़कियों को महिला आरक्षी की अभिरक्षा में लेकर थाना स्थानीय पर ले आया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।

**पूछताछ का विवरण-** लड़कियों ने घर से नाराज होकर घूमने के लिये बाहर जाना बताया है।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 318/24 धारा 363 भादवि सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

**बरामद करने वाली पुलिस टीम-** प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 देवचरण सिंह, हे0का0 अमित गुप्ता, का0 चन्दन कुमार, म0का0 प्रिती तिवारी थाना सरायमीर आजमगढ़।

**थाना सरायमीर**  
**किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त का सहयोगी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 30.05.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री शौच के लिए गयी थी वापस आते समय रास्ते में 1.सुनील पुत्र मनरीका यादव ग्राम टण्डवा थाना सरायमीर जिला आजमगढ़, तथा 2.ऋषिकेश पाल पुत्र बलिराम पाल निवासी टण्डवा जिला आजमगढ़, 3.शिवम उर्फ भोला पुत्र प्यारेलाल यादव ग्राम कोलपुर कुशहां तथा 4.आयूष पुत्र जयप्रकाश ग्राम कठिया जिला आजमगढ़ मौजूद थे जिसमें से सुनील यादव ने वादी की पुत्री के साथ छेड़खानी किया तथा शोर मचाने पर सुनील के साथी लड़को ने गाली देते हुए किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 297/24 धारा 363/366ए/376/34 भादवि0 व 3/4 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त सुनील ने साथियों संग मिलकर वादी की लडकी को भगाया तथा अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया।

➡ पूर्व में 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा चूका है तथा अभियुक्त ऋषिकेश पाल फरार चल रहा है ।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 12.06.2024 को म0उ0नि0 कबिता कुमारी मय हमराह व उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह को सूचना मिली कि अभियुक्त ऋषिकेश पाल बीनापारा पुलिया पर खड़ा कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर म0उ0नि0 कबिता कुमारी मय हमराह व उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह द्वारा बीनापारा पुलिया से अभियुक्त ऋषिकेश पाल पुत्र बलिराम पाल निवासी टण्डवा थाना सरायमीर, जिला आजमगढ़ को समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** ऋषिकेश पाल पुत्र बलिराम पाल निवासी टण्डवा थाना सरायमीर, जिला आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 297/24 धारा धारा 363/376/34 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-म0उ0नि0 कबिता कुमारी, उ0नि0 राजकुमार यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।

2- का0 अलोक कुमार शुक्ला, का0 अनिल प्रसाद, म0का0 संजू सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़।